

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक: प. 9 (1)सम्पर्क/पार्ट-3/2002 | 15899-2007 जयपुर, दिनांक: 13.10.2014
14

समस्त
संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
राजस्थान

विषय:- अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए मेडिकलेम पॉलिसी एवं सामूहिक दुर्घटना बीमा सम्बन्धी निर्देश ।

संदर्भ:- निदेशालय परिपत्र क्रमांक 12550-51 दिनांक 26.9.2014

ऐसे अधिस्वीकृत पत्रकार जिन्होंने पूर्व में मेडिकलेम पॉलिसी या सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी नहीं ली थी एवं इस वर्ष से मेडिकलेम पॉलिसी एवं सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं, वे दिनांक 15.10.2014 तक नई पॉलिसी हेतु आवेदन कर सकते हैं।

जिन अधिस्वीकृत पत्रकारों ने पूर्व में मेडिकलेम पॉलिसी / सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत पॉलिसी ली हुई थी वे इस वर्ष पॉलिसी नवीनीकरण कराना चाहते थे उनके आवेदन की तिथि दिनांक 13.10.2014 को समाप्त हो चुकी है, ये पत्रकार भी नवीन पॉलिसी के तहत दिनांक 15.10.2014 तक आवेदन कर सकते हैं ।

110
13/10/2014
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर को उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)